राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ.1(89)परि/स्था/सू.सहा./कम्प्यू./11/55845-858 जयपुर, दिनांकः 28/8/14

कार्यालय आदेश 24/2014

परिवहन विभाग में नित्य प्रतिदिन के कार्य सम्पादन हेतु कनिष्ठ लिपिक के स्थान पर सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा सूचना सहायकों का पदस्थापन किया गया है। प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयों के साथ मुख्यालय पर सूचना सहायक पदस्थापित किये गये हैं। विभागीय कार्यों के सुचारू व समयबद्ध सम्पादन को दृष्टिगत रखते हुये उपलब्ध सूचना सहायकों को निम्नानुसार कार्य आवंटित करने के आदेश दिये जाते हैं:–

परिवहन मुख्यालय स्तर पर :

1. प्राप्त पत्रों को आवंटित विषय की पत्रावली पर प्रोसेस कर उच्च अधिकारी को पत्रावली प्रस्तुत करना।
2. आवंटित पत्रावलियों का संधारण एवं आदेशार्थ उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करना।
3. यदि शाखा में केवल सूचना सहायक ही पदस्थापित हैं, तो समस्त कार्य उनके द्वारा संपादित किया जाएगा किंतु यदि शाखा में लिपिकीय संवर्ग के अन्य कर्मचारी भी उपलब्ध हैं, तो प्रभारी अधिकारी द्वारा उक्त के मध्य समुचित कार्य विभाजन किया जाएगा।
4. शाखा से संबंधित वेब पोर्टल पर निर्धारित समय–सारणी पर इन्द्राज करना।
5. पोर्टल से आवश्यक रिपोर्टों को प्रिन्ट करना।
6. शाखा से संबंधित ई–मेल अकाउन्ट से नित्य प्रतिदिन ई–मेल पर प्राप्त होने वाले पत्रों को प्रिन्ट कर उच्च अधिकारी को प्रस्तुत करना।
7. ई–मेल के माध्यम से शाखा के पत्रों को भेजना।
8. शाखा से संबंधित पत्रों के टाईपिंग का कार्य।
9. शाखा से संबंधित सूचनाओं के संकलन एवं टेबल (एक्सल) में तैयार करना।

प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालय स्तर परः

परिवहन विभाग की विभिन्न सेवाओं के लिये वाहन पंजीयन प्रमाण–पत्र एवं चालक अनुज्ञापत्र से संबंधित शाखाएं, कार्यभार अनुसार स्थापित हैं, जिनमें वाहन एवं सारथी सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्य संपादित किये जा रहे हैं। स्मार्ट कार्ड परियोजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप सेवाप्रदाता के कार्मिकों द्वारा अनुबंध की शर्तों के अनुरूप दी जाने वाली सेवाओं यथा वाहन पंजीयन एवं चालक अनुज्ञापत्र की डेटा एन्ट्री एवं प्रिन्टिंग का कार्य सूचना सहायक द्वारा किया जाएगा व इसके अतिरिक्त समस्त कार्य विभागीय कार्मिकों द्वारा किया जायेगा। इन विभागीय कार्यों के लिये पदस्थापित सूचना सहायकों को स्वतंत्र रूप से कार्य

आवंटित किये जावें। जिस शाखा में सूचना सहायक को कार्य आवंटित किया जाता है, वहां की पत्रावलियों की जिम्मेवारी भी उन्हें सौंपी जाए। स्मार्ट कार्ड सेवाप्रदाता के द्वारा वाहन एवं सारथी सॉफ्टवेयर में डेटा एन्ट्री के अतिरिक्त अन्य विभिन्न सेवाओं की डेटा एन्ट्री का कार्य संबंधित सूचना सहायक को आवंटित किया जाए।

स्मार्ट कार्ड के सुचारू क्रियान्वयन हेतु पूर्व में एक सूचना सहायक को सर्वर रूम में कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसकी अनुपालना करते हुये यथासंभव एक सूचना सहायक को सर्वर रूम का दायित्व पूर्णतया दिया जाए, जो उपरोक्त के अतिरिक्त सर्वर, नैटवर्किंग, यूपीएस, क्लाईन्ट इत्यादि की नियमित रूप से देख–भाल करता रहे ताकि कार्यालय का कार्य बाधित ना हो। कार्यालय के समस्त ई–मेल तथा अन्य वेब पोर्टल यथा आई.एफ.एम.एस., सुगम, टाइम्स इत्यादि पर नियमित डेटा एन्ट्री का कार्य आवंटित किया जाए। समस्त पासवर्ड उक्त सूचना सहायक के अधीन रखे जाएं। वैकल्पिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये एक अन्य सूचना सहायक को उसके निर्धारित कार्य के अतिरिक्त सर्वर रूम की देख–भाल व अन्य व्यवस्थाओं हेतु अधिकृत किया जाए ताकि मुख्य कर्मचारी के अवकाश इत्यादि की स्थिति में कार्यालय कार्य सुचारू रूप से संचालित रहे।

जो सेवा वाहन व सारथी सॉफ्टवेयर के माध्यम से वर्तमान में नहीं दी जा रही है यथा परमिट, चालान इत्यादि का कार्य उपलब्ध मंत्रालयिक कर्मचारियों से कराने का यथासंभव प्रयास किया जाए तथा इन कार्यों एवं संबंधित अभिलेखों की जिम्मेदारी शाखा में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों को आवंटित की जाए।

यह आदेश प्रमुख शासन सचिव व परिवहन आयुक्त से अनुमोदित है।

(डॉ मनीषा अरोड़ा)
अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा0)

क्रमांकः एफ.1(89)परि/स्था/सू.सहा./कम्प्यू./11/ जयपुर, दिनांकः

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है
1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय, जयपुर।
3. समस्त अपर परिवहन आयुक्त, ... जोन।
4. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
5. श्री संजय सिंघल, एसीपी को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
6. समस्त संबंधित कर्मचारीगण।
7. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा0)